पंजा**ब नैश**नल बैंक punjab national bank

खजान्ची-करार CASHIER AGREEMENT

		की तारीख को में प्रथम पक्षव			
	के रूप में पंजाब नैशनल बैंक , जिस का प्रधान व	कार्यालय 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में है और वि	गसे		
	इसके वाद "वैंक" कहा गया है, तथा द्वितीय पक्षकार		_		
	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	निवासी	_		
	जिन्हें इसके बाद लिपिक-एवं-खजान्ची कहा गया है, व	हे बीच किया गया।			
	THIS AGREEMENT made at	on this, 20			
	BETWEEN Punjab National Bank havin	g its Head Office at 7, Bhikhaiji Cama Place, No	ew		
	Delhi (hereinafter called the Bank) of the first part and Shri/Kumari/Smt.				
	Son/Daughter/wife of Shri				
		(hereinafter called the Clerk-cum-Cashier)			
	the second part.				
1/52 जो लागून	*1 श्री/कुमारी/श्रीमती	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री			
हो उसे काट दें	के अनुरोध पर वैंक श्री/कुमारी/श्रीमती	को खजान्ची/लिपिक-एवं खजान्ची	क		
	रूप में नौकरी पर रखने के लिए सहमत हो गया है।				
*1/*2 Strike out = whichever is	*1 Whereas at the request of Shri/Kumar	i/Smt S/o / D.	/o /		
not applicable.		the Bank has agreed to take Si			
		into its service as Cashier/Cle			
	cum-Cashier.				
	*2. श्री/कुमारी/श्रीमती	पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री			
	खजान्ची/लिपिक-एवं-खजान्ची बैंक में सेवारत है।				
	* Shri/Kumari/Smt.	S/o / D/o / Wife	e of		
		Cashier/Clerk-cum-Cashier is Serv			
	the Bank.				
		A 2 2 2 2 2 Ambri Am day			
		टी के दौरान रोकड़, नोट, प्रतिभृतियां, वुलियन, जेवरात र			
		। अतः अव दोनों पक्षों से वीच निम्नलिखित करार किया उ	וומו		
	है				
		shier has, in the discharge of his/her duties, to han			
	· ·	and other valuable goods documents etc. It is no oder:	υW		
	agreement between the parties hereto as ur	IGG).			

समय समय पर अपने पर लागू नौकरी की शर्तों का पालन करेंगे।

That the Clark cum Cashier of the second part, shall work diligently, faithfully and honestly

द्वितीय पक्षकार, लिपिक-एवं-खजान्ची अपना कार्य मेहनत, निष्ठा एवं ईमानदारी से करेंगे और वह

That the Clerk-cum-Cashier of the second part, shall work diligently, faithfully and honestly in the discharge of his/her duties and shall abide by all the service conditions applicable to him/her from time to time

2. द्वितीय पक्षकार, लिपिक-एव-खजान्ची किसी कपट, लापरवाही अथवा गवन के कारण अथवा उनके द्वारा किसी कार्य को करने या न करने के कारण हुई सभी हानियों के लिए बैंक के प्रति उत्तरदायी होंगे।

That the Clerck-cum-Cashier of the second part, shall be tiable to the Bank for all losses

3. द्वितीय पक्षकार, लिपिक एवं-खजान्यी ऊपर खण्ड सं. 2 में उल्लिखित किसी भी कारण से होने वाली हानि की पूर्ति के लिये वैंक क पास निर्धारित नकद-प्रतिभृति जमा करेंगे और वैंक को उस प्रतिभृति का अपनी हानि की पूर्ति के लिये इस्तेमाल करने का अधिकार होगा ओर इस वारे में निर्णय करने का एकमात्र अधिकार वैंक को होगा। यदि प्रतिभृति की रकम से हानि पूरी न हो तो वैंक को स्वयं उनरों अधना उनकी सम्पत्ति से रकम की वसूली करने का अधिकार होगा।

That the Clerk-cum-Cashier of the second part, shall deposit cash security as prescribed, with the Bank to meet any loss caused in any manner mentioned in clause No. 2 above and the Bank shall be entitled to appropriate the same towards the loss, of which the bank shall be the sole judge. In case of deficiency the Bank shall be entitled to recover the same from his/her person and property.

- 4. वैंक ऊपर पैरा 3 के अनुसार जमा करवाई गई प्रतिभूति पर समय समय पर वैंक द्वारा निर्धारित दर से व्याज देगा।

 That the bank shall pay interest on the security deposit as per para 3 above at the rate as decided by it from time to time
- 5 लिपिक एवं खजांची के बैंक-सेवा में न रहने पर अथवा उन्हें स्थायी तौर पर लिपिक एवं खजांची को ड्यूटी से हटा दिये जाने के नुरन्त बाद बेक जमा करवाई गई प्रतिभृति की रकम, ऊपर बताई गयी दर पर ब्याज सहित वापस लौटा देगा।

That the Bank shall in the event of the Clerk-cum-Cashier ceasing to be in the service of the Bank or as soon as he/she is permanently removed from the duties of Clerk-cum-Cashier refund the amount of security deposited with interest at the above rate.

6. लिपिक-एवं खजान्ची को प्रधान खजान्ची/प्रभारी खजान्ची के रूप में काम करने के लिए कहे जाने पर वह उस ड्यूटी को यमभालेंगे तथा प्रधान खजान्ची/प्रभारी खजांची पर लागू मेवा शर्तों का पालन करेंगे। वह चावियों की उचिन अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे आर्थ याचियों के खो जाने की स्थिति में वैंक को तालों के वार्ड बदलवाने तथा उम काम पर आये खर्च की बुमली उनमें करने का अधिकार होगा।

That the Cashier/Clerk-cum-Cashier when required to work as Head Cashier/Cashier Incharge shall discharge the doties and abide by the service conditions applicable to Head Cashier/Cashier Incharge. He/She shall be responsible for proper custody of keys and in the event of their loss the Bank shall be entitled to replace the wards of the locks and recover the expenses thereof from him/her.

IN WITNESS W	तारीख को इस्ताक्षर किये HEREOF THE parties have set their h	
	this	